भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1545
जिसका उत्तर गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की लंबित स्थिति

1545 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के न्यायालयों में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दो लाख से अधिक मामले लंबित हैं ;

(ख) ऐसे मामलों के निपटान के लिए वर्तमान में कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं ;

(ग) निपटान में औसतन कितना समय लगता है ; और

(घ) न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, फॉरेंसिक सहायता सुदृढ़ करने तथा बाल-अनुकूल अवसंरचना में सुधार हेतु उठाए गए कदम क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.12.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 398 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 774 एफटीएससी कार्य कर रहे थे, जिनमें 2,45,579 मामले लंबित थे, जिसमें से 2,24,572 मामले पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित हैं।

(ग) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2024 के दौरान अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित एफटीएससी में लिए गए औसत विचारण समय के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार ब्यौरे **उपाबंध** पर दिए गए हैं।

(घ) : जहां तक न्यायालयों में न्यायाधीशों/अभियोजकों और कर्मचारियों की भर्ती का संबंध है, वहां एफटीएससी सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति के संबंध में नियम बनाती हैं।

न्यायालयिक सहायता के संबंध में, भारत सरकार ने कई नए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं का स्थापन अनुमोदित किया है ।

जहां तक बालक-अनुकूल अवसंरचना का संबंध है, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय पीड़ितों को सुविधा प्रदान करने और बालक-अनुकूल न्यायिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विद्यमान न्यायालय परिसरों के भीतर सुभेद्य साक्षी निक्षेपण केन्द्रों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वीडब्ल्यूडीसी के संचालन और प्रबंधन के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और सभी पणधारियों को जागरुक करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उच्च न्यायालयों ने सुभेद्य साक्षी निक्षेपण केन्द्र (वीडब्ल्यूडीसी) स्कीम को अपनाया है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

****

उपाबंध

2024 के दौरान अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) सहित एफटीसी न्यायालयों में लगने वाले औसत विचारण समय के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एफटीसी में विचारण के लिए लगने वाला औसत समय (दिनों में)
1	आंध्र प्रदेश	257
2	असम	940
3	बिहार	941
4	चंडीगढ़	592.5
5	छत्तीसगढ़	332.5
6	दिल्ली	1639.5
7	गोवा	547.5
8	गुजरात	1292.5
9	हरियाणा	575
10	हिमाचल प्रदेश	434.5
11	जम्मू - कश्मीर	912.5
12	झारखंड*	640.5
13	कर्नाटक	817
14	केरल	796.5
15	मध्य प्रदेश	380
16	महाराष्ट्र	575
17	मणिपुर	1350
18	मेघालय	910
19	मिजोरम	1155
20	नागालैंड	1185
21	ओडिशा	499.5
22	पुडुचेरी	180
23	पंजाब	590
24	राजस्थान	880
25	तमिलनाडु	466
26	तेलंगाना	434.5
27	त्रिपुरा	1484
28	उत्तराखंड	512.5
29	उत्तर प्रदेश	861.34
30	पश्चिमी बंगाल	910
* झारखंड तारीख 07.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से इस स्कीम से बाहर निकल गया ।		

स्रोत: उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार

****